



LOYOLA CONVENT SCHOOL

An ISO 9001:2000 Certified School | Affiliated to C.B.S.E., New Delhi | Aff. No. : 3430198

Vidyalaya Marg, Dumardaga, Booty, Ranchi-835217 (Jharkhand)

Phone : 0651-2273020, 9308001515, 9431100411

Ref. No. LCS/2941/2024-25



Date: 08-04-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, Satya Prakash Manager of Loyola Convent School is here by declare that Our Fire Safety Certificate is valid till 31.03.2024. It was valid on the date of application for Section Increase. But after received deficiencies on 01st of April 2024, I have given application to renew the same. This process will complete in 15-20 days. The updated fire safety certificate will receive within a month.

So, our kindly request, please consider our application.

I will submit the same after renewal.

Thanks with Regards:

Satya Prakash

Manager

Loyola Convent School

Director
Loyola Convent School
Ranchi



LOYOLA CONVENT SCHOOL

An ISO 9001:2000 Certified School | Affiliated to C.B.S.E., New Delhi | Aff. No. : 3430198

Vidyalaya Marg, Dumardaga, Booty, Ranchi-835217 (Jharkhand)

Phone : 0651-2273020, 9308001515, 9431100411

Ref. No. ... LCS/2932/2024-25



Date: ... 02.04.2024 ...

To,
Jharkhand Fire Service Headquarters
Rajendra Chowk, Mahatma Gandhi, Main Road,
Anandpur, Doranda,
Ranchi (JHARKHAND)-834002

Subject : Regarding Issue of Renewal Letter of Fire Safety Certificate of Loyola Convent School, Dumardaga, Booty, Ranchi.

Dear Sir,

With reference to your letter No. 2594/Tech./2023 dated 10.05.2023 (photocopy attached as ready reference).

This is to inform you that fire safety certificate was issued to our school vide your above mentioned letter under reference which was valid up to 31st March 2024 and hence its renewal for further one year i.e. up to 31st March 2025 is required.

In view of the above, you are requested to kindly issue a fresh fire safety certificate to the school at the earliest.

Thanks and regards

Paramita Saha

Principal

Principal

Loyola Convent School

Dumardaga Booty

Ranchi



02/04/24

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-10.05.2023

सेवा में,

**LOYOLA CONVENT SCHOOL,
VIDYALAYA MARG, DUMARDAGA, BOOTY,
RANCHI, JHARKHAND, PIN-834012,**

विषय:- लायला कॉन्वेंट स्कूल, डुमरदग्गा, बूटी राड, राँची स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित स्कूल भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-254 दिनांक-05.05.2023 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवनों तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. स्कूल भवनों में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवनों में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-31.03.2024 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf9
44ac5ffdd851f54d7 postalCode=834002, st=Jharkhand